# TABLE OF CONTENTS

## Bidding Document for the work of ……………………………………

### आगरा विकास प्राधिकरण, जयपुर हाउस, आगरा

निविदा सूचना सं0-102 / वि. / यां. / 2023-24

दिनांक : 14/02/2024

### ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्य हेतु शासकीय / अर्द्धशासकीय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / केन्द्र सरकार/राज्य सरकार / केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से ई - निविदा (Open e-tender) आमंत्रित की जाती हैं :-

| क्र. सं. | कार्य का नाम | बी.ओ. क्यू. धनराशि (रू० लाख में) | धरोहर धनराशि (रू० में) | निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रू० में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | खण्ड का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सुभाष पार्क में सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य । | 360.21 | 7,20,500/- | 5,900/- | 10 माह | वि. / यां. |
| 2 | सुभाष पार्क में लैण्डस्केप डिजाईनिंग का कार्य । | 366.16 | 7,32,400/- | 5,900/- | 10 माह | वि. / यां. |

- उक्त कार्यों की ई-निविदा दिनांक 24.02.2024 को आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदा दिनांक 16.02.2024 से 24.02.2024 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है।
- निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेवसाइट www.adaagra.org.in पर देखी जा सकती है।

अमर उजाला दि० 15/02/2024

- अधिशासी अभियन्ता
(वि० / यां० )

आगरा विकास प्राधिकरण

# आगरा विकास प्राधिकरण
## जयपुर हाउस, आगरा।

**निविदा सूचना सं0–102/वि./यां./2023–24** **दिनांक : 14/02/2024**

## ई–निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्य हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से ई–निविदा (Open e-tender) आमंत्रित की जाती हैं :–

| क्र. सं. | कार्य का नाम | बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू0 लाख में) | धरोहर धनराशि (रू0 में) | निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रू0 में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | खण्ड का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | सुभाष पार्क में सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य। | 360.21 | 7,20,500/- | 5,900/- | 10 माह | वि./यां. |
| 2 | सुभाष पार्क में लैण्डस्केप डिजाईनिंग का कार्य। | 366.16 | 7,32,400/- | 5,900/- | 10 माह | वि./यां. |

- उक्त कार्यों की ई–निविदा दिनांक 24.02.2024 को आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदा दिनांक 16.02.2024 से 24.02.2024 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेवसाइट www.adaagra.org.in पर देखी जा सकती है।

**नियम व शर्तें:–**

1. उक्त कार्यों की ई–निविदा दिनांक 24.02.2024 को आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन अपरान्ह् 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 16.02.2024 के अपरान्ह् 12:30 बजे से दिनांक 24.02.2024 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www. etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
3. वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि तक निर्धारित समय से पूर्व वेबसाइट https://induscollect.indusind.com/pay/index.php से जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त् निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों को ई–टेण्डर की खुली निविदा में (Open e-tender) प्रतिभाग करने की अनुमति प्राधिकरण हित में एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि अर्ह फर्म (L1) को प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. विशिष्ट प्रकार के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
9. निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
10. सभी निविदादाताओं को आयकर, श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
11. विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।

क्रमशः..

12. उपरोक्त कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
13. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।
14. निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर एवं रु 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
15. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका निकटतम सम्बन्धी आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है।
16. समस्त प्रकार के कार्यों (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यों) में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
17. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

**अधिशासी अभियन्ता**
**(वि0/यां0)**

निविदा सूचना सं0 : 102/वि./यां./2023–24, दिनांक : 14/02/2024

*प्रतिलिपिः–*

1 उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदया को सूचनार्थ।
3. वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे नियमानुसार वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

**अधिशासी अभियन्ता**
**(वि0/यां0)**